(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 1/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी, 2018

सा.का.नि..... (अ.)- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20, 22 और 23 के साथ पठित, और 2017 की रिट याचिका संख्या 12950 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 06.11.2017 को दिए गए अंतिम आदेश के मद्देनजर केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 30/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 16 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 597(अ) दिनांक 16 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

उक्त अधिसूचना में पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“3. और जहां कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 06 नवम्बर, 2017 के अंतिम आदेश में यह कहा है कि “यह रिट याचिका खारिज की जाती है और याचिका कर्त्ता को यह छूट है कि वह दिनांक 16 जून, 2017 की अधिसूचना के प्रति सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत कोई भी वैकल्पिक समाधान प्राप्त कर सकता है और प्रथम प्रतिवादी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह इस अधिसूचना को अब से लागू कर सकता है”

4. अत: अब माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के मद्देनजर, अधिसूचना संख्या 30/2017, दिनांक 16 जून, 2017 को जो आस्थगित रखा गया था उसे अब वापस लिया जाता है और यह अधिसूचना लागू की जाती है”

(फाइल संख्या 354/46/2014-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार